

इसे वेबसाइट www.govt_pressimp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जुलाई 2013—आषाढ़ 12, शक 1935

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. एफ. 14-3-2013-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2002 के नियम 251 के साथ पठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का सं. 27) की धारा 18 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का पुनर्गठन करती है:—

- | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (एक) | मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, श्रम विभाग | —पदेन अध्यक्ष |
| (दो) | कल्याण आयुक्त, भारत सरकार श्रम मंत्रालय, जबलपुर | —सदस्य
केन्द्र सरकार द्वारा
नामनिर्देशित. |
| (तीन) | अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त
मुख्य निरीक्षक—श्रमायुक्त, इन्दौर. | —पदेन सदस्य |
| (चार) | राज्य सरकार के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य,
जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हों :— | |
| (1) | प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग | —सदस्य पदेन |
| (2) | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या प्रमुख सचिव द्वारा नामांकित उपसचिव | —सदस्य पदेन |
| (3) | प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग या प्रमुख सचिव
द्वारा नामांकित उपसचिव. | —सदस्य पदेन |
| (4) | प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग या प्रमुख सचिव द्वारा नामांकित
उपसचिव. | —सदस्य पदेन |

(पांच) भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों :—

- | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | श्री सुल्तान सिंह शेखावत, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ मध्यप्रदेश,
124 शासकीय क्वार्टर बिड़ला ग्राम, नागदा, जिला उज्जैन. | —सदस्य |
| (2) | श्रीमती आशा ताई माण्डलिक, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ,
एफ-44/26, साऊथ टी. टी. नगर, भोपाल. | —सदस्य |
| (3) | श्री उपेन्द्र द्विवेदी, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य, भारतीय मजदूर संघ,
सेक्टर ए, दुद्धीचुंआ, सिंगरौली. | —सदस्य |
| (4) | श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ,
मकान नं. 1, नरसिंह मार्ग, नरसिंहगढ़ (राजगढ़). | —सदस्य |
| (5) | श्री लक्ष्मीनारायण रजक, कार्यकारणी अध्यक्ष, भवन निर्माण संघ,
बुधवारिया, उज्जैन. | —सदस्य |
| (छ:) | नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों :— | |
| (1) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल. | —सदस्य |
| (2) | प्रबंध संचालक, म. प्र. रोड ड्वलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भोपाल. | —सदस्य |
| (3) | आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मंडल, भोपाल | —सदस्य |
| (4) | श्री सुरेश वासवानी, अध्यक्ष, म. प्र. बिल्डर्स एसोसिएशन,
संस्कार स्कूल के पास, बैरागढ़ (संत हिरदाराम नगर), भोपाल. | —सदस्य |
| (5) | श्री अदित्य प्रताप सिंह चौहान, ग्राम बंजारी, पोस्ट देवरा,
जिला सिंगरौली. | —सदस्य |

2. उपरोक्त कंडिका-1 के उप कंडिका (चार), (पांच) तथा (छ:) के अधीन उल्लेखित सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जैसी की उक्त नियम के नियम 252 में विहित की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमारे, उपसचिव.